राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–382/2025

जोहरी लाल कोली

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (द्वितीय) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :–05.02.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)

अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर से पंचायत समिति, खेराबाद, कोटा में किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का वर्तमान स्थान पर पदस्थापन आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा हुआ था, जहां पर केवल 11 माह से पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 11 माह की अल्पावधि में ही पुनः किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग की जो स्थानान्तरण नीति है, उसके अनुसार अधिकारी/कार्मिक को एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तक रखे जाने का प्रावधान रखा गया है। इस नीति के विरूद्ध जाते हुए

अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के पद को रिक्त रखा गया है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष